आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 285/2024 अनवान ***मांगीलाल व अन्य बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.24	उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 14.8.24 को वकील अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.10.24 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहरते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण में रेस्पो0सं0 17–पारू पत्नी नारायण राम एवं रेस्पो0सं0 19–रामा किशन पुत्र कोजा अपीलाधीन आदेश में पक्षकार होने से उक्त अपील में पक्षकार बना दिया गया। उक्त दोनो पक्षकार का स्वर्गवास हो चुका है। अतः इनके नाम अपील मीमों में से डिलीट किया जाकर लाल स्याही से अंकित किए जाने का आदेश फरमावे। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि किसी भी पक्षकार मुकदमा के नाम के समक्ष लाल स्याही से "मृत्तक" शब्द तभी अंकित किया जा सकता है, जब किसी पक्षकार मुकदमा का निधन दौराने वाद कार्यवाही हुआ हो। उक्त अनवान प्रकरण में प्रत्यर्थी सं0 17 व 19 का स्वर्गवास उक्त अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुका था, इस कारण यह अपील "एबेट" की श्रेणी में	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आती है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज फरमावे।

दौरान बहस अपीलांट सं0 4–बिदामी पुत्री पूनाराम ने शपथ पत्र (गैर न्यायिक स्टाम्प पच्चास रूपये) प्रस्तुत कर मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त अपील में मुझ शपथकर्ता का नाम अपीलांट सं0 4 पर अंकित है, जबकि मेरे द्वारा कोई अपील पेश नही की गई है। प्रश्नगत रास्ता वास्ते मौका रिपोर्ट दिनांक 23.8.22 में अपीलार्थी सं0 2–मदन गोपाल की सहमति के रूप में हस्ताक्षर है। मुझ शपथकर्ता की पूर्ण सहमति है। उक्त रास्ता कदिमी है तथा ग्रेवल सड़क हम सबकी सहमति से बनाई गई है। ग्रेवल कार्य हेतु मनरेगा कार्य में मेरे भाई अपीलांट सं0 1–मदनगोपाल व 2–मांगीलाल व उसके परिवार वालो ने कार्य किया था तथा डामरीकरण का कार्य चालू है। रास्ता आमजन के हितार्थ है, उसको यथावत सुचारू रखा जावे।

हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पो0सं0 17 व 19 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0 22 व 24 पर पक्षकार संयोजित है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं वकील अपीलांट इन्हें अपील प्रस्तुत करने से पूर्व फौत होना बताया है। अतः उक्त अपील "एबेट" की श्रेणी में आती है। इसके अलावा अपीलांट सं0 4–बिदामी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्य की पुष्टि मौका रिपोर्ट दिनांक 23.8.22 के क.सं. 6 में उल्लेख अनुसार होने से यह अपील सारहीन प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सीपीसी खारिज किया जाकर उक्त अपील "एबेट" की श्रेणी में होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर